



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48120

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6291/2026

निरपति सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : रघुराज सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे मुकदमा संख्या 304/2024, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या टी202401260400304 के रूप में पंजीकृत किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील टुंडला, जिला फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 26.12.2024 के आदेश के माध्यम से इसे स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता के विरुद्ध बेदखली और हर्जाने का आदेश पारित किया गया है।
2. उक्त आदेश से व्यथित होकर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत एक वैधानिक अपील दायर की गई थी, जिसे केस संख्या 478/2025, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



डी202501260000478 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त अपील को जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 13.10.2025 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

3. यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है।
4. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी उठाया गया है कि उक्त आदेश, 'ऋषिपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (2023 (1) अपर जिला जज 154 में रिपोर्टेड) मामले में पारित निर्णय के पैरा-74 में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे; अतः उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।
5. इस तथ्य पर प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा भी कोई विवाद नहीं किया गया है।
6. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, चूंकि प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील टुंडला, जिला फिरोजाबाद द्वारा केस संख्या 304/2024 (कम्प्यूटराइज्ड केस संख्या टी202401260400304) में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेश दिनांक 26.12.2024; और साथ ही प्रतिवादी संख्या 2, यानी जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा केस संख्या 478/2025 (कम्प्यूटराइज्ड केस संख्या डी202501260000478) में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत पारित आदेश दिनांक 13.10.2025—ये दोनों आदेश ऋषिपाल सिंह (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे; अतः ये आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा इन्हें रद्द किया जाता है।
7. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।
8. प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील टुंडला, जिला फिरोजाबाद को निर्देश दिया जाता है कि वे ऋषिपाल सिंह (उपर्युक्त) के मामले में दिनांक 02.12.2022 के निर्णय और आदेश के पैराग्राफ-74

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, एक नया आदेश पारित करें;
और यह कार्य शीघ्रतापूर्वक, तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की
तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर किया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

10 मार्च, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”